

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या - 504/2013/अजमेर

1. श्री कल्याणमल डाणी पुत्र स्व.श्री मन्नालाल डाणी,
जाति-अग्रवाल, निवासी-12/178, हाथीभाटा, अजमेर।
2. श्री संजीव खण्डेलवाल पुत्र स्व.श्री भगवानदास
खण्डेलवाल, जाति-खण्डेलवाल, निवासी-बी-94, छतरी
योजना, वैशाली नगर, अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, अजमेर।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जी.एस.लाखावत अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18.06.2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त-अजमेर (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 169/2008 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.11.2009 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा भूखण्ड क्रमांक-146 जो अजमेर थोक मालियान तृतीय में खसरा नं. 8175 का भाग है को श्री रामराय विजयवर्गीय पुत्र श्री सोहनलाल विजयवर्गीध से रूपये 4,36,000/- में दिनांक 15.04.2008 को क़य कर, लिखित "इकरारनामा" (agreement to sale) दिनांक 15.04.2008 को प्रस्तुत किया गया। जिसे उप-पंजीयक द्वारा दस्तावेज पंजीकृत कर, संबंधित पक्षकार को लौटा दिया गया। तत्पश्चात्, दस्तावेज पर सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किये जाने के अनुसरण में उपपंजीयक, अजमेर-प्रथम, अजमेर अधिनियम की धारा 51(4) के तहत रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 11.11.2009 से रेफरेंस के प्रस्तावानुसार सम्पत्ति की मालियत रूपये 28,51,200/- निर्धारित करते हुए तदनुसार कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति सहित कुल राशि रूपये 2,14,000/- वसूली का आदेश पारित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र सहित पेश की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

बहस के दौरान प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति क्रय कर, दिनांक 15.04.2008 को संबंधित दस्तावेज तत्समय की प्रचलित दर के आधार पर पंजीबद्ध करवाये गये थे। तत्पश्चात्, उपपंजीयक के कार्यालय से कर्मचारियों द्वारा आकर, वसूली योग्य मांग राशि जमा करवाने संबंधी धमकी दी गयी जिसके बाद ही प्रार्थीगण को वसूल योग्य मांग राशि व कलेक्टर मुद्रांक द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2009 के संबंध में ज्ञात हुआ। कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थीगण को इस संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिस सुनवायी हेतु प्राप्त नहीं हुआ एवं प्रार्थीगण को सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये बिना साईक्लोस्टाईल्ड प्रारूप में पारित किया गया निगरानी अधीन आदेश गैर कानूनी एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त तर्क दिया कि विवादित आदेश पूर्व में टंकित “साईक्लोस्टाईल्ड” कागज़ पर खाली स्थानों को भरकर, जारी किया गया है, जिसमें स्वयम् के मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अतः पारित आदेश दिनांक 11.11.2009 को अनुचित एवम् अविधिक होने के कारण अभिखण्डित कर, अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

अग्रिम कथन किया कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित यथेष्ट एवं युक्तियुक्त कारणों के आधार पर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेंस स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण की निगरानी अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बाबत उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में सुनवायी हेतु नोटिसेज जारी किये गये हैं जो रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद है परन्तु उक्त नोटिसेज तामिलशुदा नहीं




निगरानी संख्या - 504/2013/अजमेर

है। अतः यह स्पष्ट है कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा जारी नोटिसेज की तामिली को सुनिश्चित किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। यही नहीं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स अनुसार बिक्रीत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि वसूली हेतु साईक्लोस्टाइल प्रारूप में निगरानी अधीन आदेश दिनांक 11.11.2009 पारित किया गया है। विद्वान कलेक्टर द्वारा पारित आदेश साईक्लोस्टाइल प्रपत्र में खाली स्थान भरकर पारित किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान कलेक्टर द्वारा हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के संबंध में संचेतन मस्तिष्क से गहन विचार कर निष्कर्ष अवधारित नहीं किये गये हैं। अतः विवादाधीन पारित आदेश को अपास्त कर, प्रकरण कलेक्टर को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में सम्बद्ध पक्षकारों को पुनः सुनवायी का युक्तियुक्त मौका प्रदान कर, इस संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने की कार्यवाही करें।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 11.11.2009 एतद्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सम्पत्ति की मालियत निर्धारण हेतु राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों के अनुरूप जांच एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का निर्धारण करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क देयता का विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।


18-6-2014
(मदन लाल)
सदस्य